न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—454/2014/223 आर.टी.एक्ट (2014/00011)

1. श्रीमती खजूरी बैवा स्व0 किशना
2. श्रीमती सुगनी बैवा सरदारसिंह
3. करमा पुत्र स्व0 सरदारसिंह
4. सुरेन्द्र) पिसरान सरदारसिंह नाबालिगान
5. सुश्री सुशीला) जरिए संरक्षक माता सुगनीदेवी
6. डाऊसिंह) पत्नि स्व0 सरदारसिंह
7. दयालसिंह पुत्र स्व0 किशना
8. हनुमान पुत्र स्व0 किशना
9. कल्ला काठात पुत्र स्व0 किशना
   समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
10. श्रीमती मेहफूलदेवी पत्नि स्व0 मिठूसिंह निवासी ग्राम मांडिडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
11. श्रीमती कमलादेवी पत्नि पूनमसिंह निवासी ग्राम रामावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
12. श्रीमती गौदावरी देवी पत्नि सुवा पुत्री किशना निवासी ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
13. श्रीमती रतनीदेवी पत्नि बीरम पुत्री किशना निवासी ग्राम श्यामगढ तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
14. नारायणी पत्नि अनिल पुत्री किशना निवासी ग्राम मकरेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
15. बुधा पुत्र पहाड मृतक जरिए वारिसानः—
    15/1 सोहन पुत्र बुधा
    15/2 बीरम पुत्र बुधा
    समस्त जाति मेहरात निवासी किशनपुरा तहसील व जिला ब्यावर।
    15/3 पानी पुत्री बुधा पत्नि सुरेश निवासी ग्राम रतनपुरा जीरोला तहसील व जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भोजसिंह पुत्र धन्नासिंह मृतक जरिए वारिसानः—
   1/1 सुशील पुत्र भोजसिंह मृतक जरिए वारिसानः—
   1/1/1 तारादेवी पत्नि सुशील
   1/1/2 गुरूशरण पुत्र सुशील
   1/1/3 गुरूदयाल पुत्र सुशील मृतक जरिए वारिसान
   1/1/3/1 श्रीमती सुनीता बैवा गुरूदयाल
   1/1/3/2 पिंस) पिसरान गुरूदयाल नाबालिगान
   1/1/3/3 पिंटू) जरिए संरक्षक माता सुनीता
   1/1/4 सुनीता पुत्री सुशील
   1/1/5 खुशी पुत्री सुशील नाबालिग जरिए संरक्षक माता तारादेवी पत्नि सुशील
   1/2 शिवराम पुत्र भोजसिंह मृतक जरिए वारिसानः—

1/2/1 सुगनी देवी बैवा शिवराम
1/2/2 देवेन्द्र पुत्र शिवराम
1/2/3 नैनादेवी पुत्री शिवराम
1/2/4 किशोर पुत्र शिवराम
1/2/5 दशरथ) पिसरान शिवराम नाबालिगान जरिए
1/2/6 विष्णु) संरक्षक माता सुगनीदेवी।

2. श्रीमती बिदामी देवी बैवा रामसिंह
3. श्रीमती राधाबाई पुत्री रामसिंह
4. सुरजीत पुत्र रामसिंह
5. रविन्द्र पुत्र रामसिंह
6. महेन्द्र पुत्र रामसिंह
7. नीमाबाई पुत्री रामसिंह
8. सुरेन्द्र पुत्र रामसिंह
9. राजेश पुत्र रामसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर ब्यावर राजस्व वाद संख्या 92/1995

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10
3. श्री एहेतेशाम चिशती अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 5, 6, 8 **अनुपस्थित**
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/2/6, 2 से 4, 7 व 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—06.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 92/1995 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र दुरूस्ती भू—अभिलेख, घोषणा खातेदारी एवं निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिवचनों के अनुसरण में वाद बिंदु कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध करने के

उपरांत अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2014 के द्वारा अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 92/1995 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/2/6, 2 से 4, 7 व 9 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु को नजर अंदाज किया कि दिनांक 20.8. 1967 को जो विक्रय पत्र विक्रेता केशा तथा नाहरा पुत्रगण मल्ला ने निष्पादित किया, उक्त दिवस को वे इस भूमि के खातेदार काश्तकार अंकित थे तथा एक खातेदार काश्तकार को प्राप्त विधिक अधिकारों के अनुसार भूमि को बेचान करने का भी अधिकार प्राप्त है, इस प्रकार बेदखली के वाद में पारित निर्णय के आधार पर खातेदारी अधिकार विक्रेतागण के समाप्त नहीं होते है, इन परिस्थितियों में राजस्व कर्मचारीयों ने बिना कोई विधिपूर्ण आदेश या निर्णय के मनमाने तरीके से अभिलेखों में परिवर्तन कर प्रतिवादी को काश्तकार अंकित कर त्रुटिपूर्ण अभिलेख बनाया, जो वादीगण के हक, अधिकारों पर बेअसर था तथा वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवाने तथा खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा करवाने के अधिकारी है इसके बावजूद तनकी संख्या का निर्णय विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण विवेचन कर वाद को निरस्त कर भारी त्रुटि कारित की है इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 6.6.1968 को वाद संख्या 6/67 में पारित निर्णय को समुचित मानकर इसके आधार पर वर्तमान वाद का निस्तारण कर त्रुटि कारित की हैं, क्योंकि राजस्व वाद संख्या 6/67 में वर्तमान अपीलकर्तागण (वादीगण) पक्षकार नहीं थे, इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से वर्तमान अपीलार्थीगण पाबन्द नहीं है तथा इसके अलावा उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु कोई इजराय की कार्यवाही न ही की गई तथा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में न्यायालय की इजराय के कम में कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई, राजस्व अधिकारीयों ने मनमाने तौर पर अभिलेखों में परिवर्तन कर दिया, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थे, तथा इसी कारण वादग्रस्त भूमि बाबत चले अन्य प्रकरणों में भी पूर्व में भौतिक धारण अपीलार्थीगण का एवं अपीलार्थीगण के विक्रेतागण का भौतिक धारण माना गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी भोजासिंह व अन्य कभी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार नहीं रहे, इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है तथा इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्व वाद संख्या 6/67 जिसकी प्रति प्रदर्श–13 है उसमें अंकित अभिवचनों में कहीं भी वाद प्रस्तुति के दिन किसी राजस्व अभिलेख बाबत अंकन नहीं है जिसमें कि भौजासिंह व रामसिंह को खातेदार के रूप में कभी कहीं अंकित किया गया हो, इस प्रकार राजस्व वाद संख्या 6/67 के प्रस्तुती के दिन से लगाकर वाद के निर्णय होने के लम्बे समय तक भी कभी भोजासिंह व रामसिंह वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं थे तथा उक्त राजस्व वाद में स्वयं न्यायालय ने अभिलेख खातेदारी बाबत प्रस्तुत न ही करना स्वीकार किया, परन्तु उक्त न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर राजस्व वाद संख्या 6/67 के वादीगण को खातेदार मान लिया क्योंकि उनके

द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने कभी भूमि का बेचान नहीं किया, न ही रहन रखा, इस प्रकार जो विवेचन उक्त न्यायालय द्वारा किया गया वह किसी भी प्रकार से यह साबित नहीं करता कि प्रतिवादी कभी वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार वर्ष 1967 के पूर्व रहे हो, इन परिस्थितियों में पश्चातवर्ती त्रुटिपूर्ण तथा अवैध राजस्व अभिलेख के अंकन के आधार पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के अधिकार परिपक्व नहीं होते है तथा विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय अत्यन्त ही अवैधानिक तरीके से पारित करते हुए अपीलार्थीगण को वांछित अनुतोष प्रदान नहीं कर भारी त्रुटि कारित की है इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 6.6.68 के त्रुटिपूर्ण निर्णय व निष्कर्ष को अपने निर्णय का आधार बना कर भारी त्रुटि कारित की है तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें अपीलार्थीगण का भौतिक धारण साबित रहा है, उसे नजर अंदाज कर जो निर्णय विचारण न्यायालय ने पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु को नजर अंदाज किया कि वर्तमान वाद का निर्णय करते हुए राजस्व वाद संख्या 6/67 में अंकित अभिवचन तथा न्यायालय का निर्णय उक्त अभिवचनों से आगे जाकर पारित किया गया होना साबित रहते हुए भी ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक निर्णय के आधार पर वर्तमान वाद का निस्तारण कर भारी त्रुटि कारित की है इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने खातेदारी अधिकारों की उत्पत्ति तथा जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलधन अधिनियम के प्रावधानों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को समुचित रूप से समझे बिना जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 92/1995 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2014 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत दुरूस्ती भू–अभिलेख, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेंट/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों को निर्णित कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 29.10.2014 को खारिज किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

विवादित आराजीयात मौजा किशनपुरा तहसील ब्यावर में स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 536 सफाई जमाबंदी नम्बर 667 रकबा 00–16–00 बीघा है। उक्त विवादित आराजीयात को अपीलांट/वादीगण द्वारा श्री केशा व नाहरा पिता मल्ला जाति रावत निवासी ग्राम किशनपुरा से दिनांक 20.08.1967 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया जाना पाया जाता है। उक्त आराजीयात का नामांतकरण भी वादीगण के हक में दिनांक 20.10.1967 को हुआ है। परंतु 1984 में भू संशोधन के बाद कायम जमाबंदी में रामसिंह व भोजसिंह का नाम खातेदारी में इंद्राज कर दिया गया। उक्त इंद्राज दुरूस्ती बाबत वादी/अपीलांट ने दिनांक 09.06.1985 को भू अभियान केम्प किशनपुरा

में आवेदन किया परंतु कार्यवाही नहीं हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक वाद संख्या 292/1968 उनवानी सरकार बनाम किशना, बुद्धा वगैराह में 379, 447 आईपीसी के तहत न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट ब्यावर के यहां चला था जिसमें निर्णय दिनांक 20.10.1969 से न्यायालय द्वारा वादीगण को दोष मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार धारा 145 जा0 फौजदारी में एक प्रकरण संख्या 29/1972 भौजा बनाम किशना व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर में चला जिसमें विवादित भूमि पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त माना है। इसी अनुसार पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में भी कब्जा वादीगण/अपीलांट का ही माना गया है।

राजस्व वाद संख्या 6/67 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय दिनांक 06.06.1968 को किया गया। परंतु अपीलांटगण के पूर्वजों को उक्त वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। जबकि उनके द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए क्रय किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर दस्तावेजात उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके द्वारा उक्त दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन नहीं किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2 वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी इंद्राज के नामांतरकरण को अंकित किया गया है। धारा 145 में किए गए निर्णय को प्रदर्श–3 अंकित किया गया है। केसा, नाहर पिता मल्ला के नाम की जमाबंदी संवत 2019 से 2022 से स्पष्ट है कि केसा नाहरा पिता मल्ला को उक्त भूमि बेचान का पूर्ण हक अधिकार था उक्त जमाबंदी पर स्थगन का कोई नोट अंकित नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2023 जिससे केसा, नाहरा की काश्त साबित है। रेस्पोडेंट द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र अनुसार भी उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही माना गया है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस बाबत कोई विवेचना नहीं की गई है।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2014 में वाद संख्या 6/67 को आधार बनाकर ही निर्णय पारित किया गया है चूंकि उक्त निर्णय में केसा व नाहरा द्वारा दिनांक 20.08. 1967 को किए गए बेचाननामे को ही विधि विरूद्ध माना है। जबकि दौराने वाद के विचाराधीन रहते हुए उक्त आराजीयात का बैचान अपीलांट/वादीगण को किया गया था जो कि दस्तावेजों से स्वयं सिद्ध है। वाद संख्या 6/67 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.1968 में केसा, नाहरा के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों तथा विधिक बिंदुओं पर कोई विवेचना नहीं की गई और ना ही केसा नाहरा द्वारा भूमि का बैचान कर दिए जाने पश्चात प्रस्तुत बेदखली वाद में क्रेतागण/वादी व अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इन समस्त तथ्यों के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की गई परंतु उक्त तनकीयात पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 6/67 में पारित निर्णय अनुरूप ही विवेचना करते हुए वर्तमान प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलांट/वादीगण को पक्षकार ही नियुक्त नहीं किया गया था जिससे अपीलांट/वादीगण अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं तथा इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में हुए निर्णय अनुसार ही वर्तमान प्रकरण का निस्तारण किया गया है जबकि उक्त प्रकरण संख्या 6/67 में

वादी/अपीलांट्स पक्षकार ही संयोजित नहीं किए गए थे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 92/1995 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2014 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर